566
26/10/18

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

आश्विन 13, सोमवार, शाके 1937–अक्टूबर 5, 2015
Asvina 13, Monday, Saka 1937–October 5, 2015

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2015

संख्या प.8(ग)(12)नियम / डीएलबी / 2015 / 11263:– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 69–क एवं राजस्थान नगरपालिका (अकृषि भूमि का समर्पण और आवंटन)नियम, 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लीज डीड जारी किये जाने हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार शुल्क की राशि निर्धारित करती है :–

01. आवेदन पत्र का मूल्य ——————— रू. 100 / – (अक्षरे सौ रूपये)
02. आवेदन पत्र मय दस्तावेज जमा करवाये जाते समय प्रोसेसिंग फीस (नॉन रिफण्डेबल):–
    (i) 200 वर्गगज तक के लिये ——————— रू. 250 / –(अक्षरे दो सौ पच्चास रूपये)
    (ii) 201 वर्गगज से 1000 वर्गगज तक———— रू. 1000 / –(अक्षरे एक हजार रूपये)
    (iii)1001 वर्गगज से 10000 वर्गगज तक————रू. 5000 / –(अक्षरे पांच हजार रूपये)
    (iv)10001 से किसी भी सीमा तक के लिये————रू. 10000 / –(अक्षरे दस हजार रूपये)
03. लीज डीड जारी किये जाने हेतु क्रम संख्या 1 एवं 2 में वर्णित राशि के अतिरिक्त पृथक से 25 रूपये प्रति वर्गगज शुल्क देय होगा। परन्तु लिये जाने वाली अधिकतम राशि किसी भी सीमा तक क्षेत्रफल के लिये 2,50,000 लाख रूपये (अक्षरे दो लाख पच्चास हजार रूपये) से अधिक नही होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
पुरुषोत्तम बियाणी,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।